न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 153/2024 अपील (GCMS 2024/201)
पंजीयन दिनांक– 06/08/2024
निर्णय दिनांक– 11/08/2025

1. **स्व. श्रीमती जुबेदा बाई पुत्री नसीर खां पत्नि स्व. ताज मोहम्मद मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर मृतक के बजायः–**

1. स्व. श्री फरीद मोहम्मद पिता स्व. ताज मोहम्मद मृतक के बजायः–

1/1 श्रीमती मेहफूजा पत्नि स्व. फरीद मोहम्मद, निवासी नायकवाडी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

1/2 स्व. फिरोज पिता फरीद मोहम्मद मृतक के बजायः–

1/2/1 श्रीमती नफीसा बानू शेख पत्नि फिरोज मोहम्मद, निवासी नायकवाडी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

1/2/2 श्री माहेनूर बानू शेख पुत्री फिरोज मोहम्मद, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती नफीसा बानू शेख पत्नि फिरोज मोहम्मद, निवासी नायकवाडी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

1/2/3 श्री मोहम्मद अल्तमश शेख पिता फिरोज मोहम्मद, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती नफीसा बानू शेख पत्नि फिरोज मोहम्मद, निवासी नायकवाडी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

1/3 श्री गफ्फार पिता फरीद मोहम्मद, निवासी नायकवाडी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

1/4 श्री शाहरूख पिता फरीद मोहम्मद, निवासी नायकवाडी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

1/5 श्री मोहसीन पिता फरीद मोहम्मद, निवासी नायकवाडी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

1/6 श्री मोहियुद्दीन पिता फरीद मोहम्मद, निवासी नायकवाडी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

1/7 मुस्कान बानू पुत्री फरीद मोहम्मद, निवासी नायकवाडी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

2. श्री खुर्शीद मोहम्मद पिता ताज मोहम्मद, निवासी नायकवाडी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
3. तमीजा बानू पिता ताज मोहम्मद, निवासी नायकवाडी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

—अपीलांट

बनाम

1. श्री अब्दुल रज्जाक पिता बादर खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।
2. श्री इकबाल खां पिता बादर खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।
3. श्री इस्माईल पिता बादर खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।
4. श्री जब्बार खां पिता बादर खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।
5. श्री बशारत खां पिता बादर खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।
6. श्री वाजिद खां पिता बादर खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।
7. श्री शराफत खां पिता बादर खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

8. श्रीमती अजदा बानो पत्नि दिलावर खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

9. श्री नदीम खां पिता दिलावर खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

10. श्रीमती नाजीया बानो पिता दिलावर खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

11. श्री हकनवाज पिता दिलावर खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

12. श्रीमती साजिदा बेगम पत्नि जाहिद खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

13. श्रीमती साहनाबानो पुत्री जाहिद खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

14. अजरा परवीन पुत्र जाहिद खां मुसलमान अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता साजिदा बेगम, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

15. अनसरजा पिता जाहिद खां मुसलमान अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता साजिदा बेगम, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

16. श्रीमती असमा परवीन पुत्री जाहिद खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

17. श्रीमती फरहा बानो पुत्री जाहिद खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

18. श्रीमती बुशरा बानो पुत्री जाहिद खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

19. श्रीमती मग्दुमा परवीन पुत्री जाहिद खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

20. श्री शाकिब पिता जाहिद खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

21. श्रीमती सलमा बानो पुत्री अल्ताफ खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

22. श्री सलीम खां पिता अल्ताफ खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

23. श्री असरत खां पिता अल्ताफ खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

24. श्री शाबाद खां पिता शरिफ खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

25. श्री सोहेल खां पिता शरिफ खां मुसलमान, निवासी तुर्की दरवाजा, तहसील व जिला सलुम्बर।

26. श्री फकीर मोहम्मद पिता न्याज मोहम्मद मुसलमान, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

27. श्री फिरोज अली पिता लियाकत अली मुसलमान, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

28. श्री मुस्तफा अली पिता लियाकत अली मुसलमान, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

29. श्री मोहसीन अली पिता लियाकत अली मुसलमान, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

30. श्रीमती रईस बानु पिता लियाकत अली मुसलमान, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

31. श्री शराफत अली पिता लियाकत अली मुसलमान, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

32. श्री भूरालाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण, निवासी धारोद, तहसील व जिला सलुम्बर।

33. श्री मुजमील खां पिता काले खां मुसलमान, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

34. श्री मगनलाल पिता रामचन्द्र महाजन, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

35. श्री सोहनलाल पिता रामचन्द्र महाजन, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

36. श्री भंवरलाल पिता मगनजी जैन, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

37. श्रीमती भंवरीदेवी पत्नि परमानंद चौबीसा, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

38. श्रीमती जेहरा बानु पत्नि अफजल खान मुसलमान, निवासी गोसीया बस्ती, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

39. श्री मोहम्मद अरबाज खान पिता अफजल खान मुसलमान, निवासी परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाडा।

40. श्री प्रभूलाल पिता भागीरथ सुथार, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

41. श्रीमती बिलकिस बानु पत्नि मेहबुब खां मुसलमान, निवासी सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

43. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजियक, सलुम्बर, तहसील व जिला सलुम्बर।

44. सरपंच, ग्राम पंचायत डाल, तहसील व जिला सलुम्बर।

45. ग्राम विकास अधिकारी (सचिव), ग्राम पंचायत डाल, तहसील व जिला सलुम्बर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री दुर्गासिंह शक्तावत / श्री फारूक मोहम्मद — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 42 व 43

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर, जिला सलुम्बर के प्रकरण संख्या 01 / 2024 निर्णय दिनांक 03.07.2024

निर्णय

दिनांक 11 / 08 / 2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर के प्रकरण संख्या 01 / 2024 निर्णय दिनांक 03.07.2024 के विरूद्ध दिनांक 02.08.2024 को प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर के यहां ग्राम पंचायत डाल, मौजा दूदर, पटवार हल्का धारोद, तहसील सलुम्बर के नामांतरकरण संख्या 158 दिनांक 14.08.1975 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश

कर निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स की संयुक्त मुस्लिम परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम दूदर, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर पूर्व जिला उदयपुर में स्थित है। वर्णित भूमि प्रार्थीया के पिता नसीर खां के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की होकर उक्त भूमि में प्रार्थीया का जन्म से ही 1/5 हिस्सा हक अधिकार होकर संयुक्त कब्जा–काश्त, उपयोग उपभोग चला आ रहा है। रेस्पोडेंट्स एवं उनके पुर्वाधिकारियों को इस बात का भली भांति ज्ञान था एवं है कि उक्त भूमि नसीर खां की खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की थी तथा नसीर खां की अपीलांट जाईन्दा पुत्री एवं दो पुत्र बादर खां एवं अल्ताफ खां विधिक वारिसान होकर उत्तराधिकारी है तथा मुस्लिम हनफी विधि के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि में अपीलांट का 1/5 हिस्सा है, जिसके अनुसार उक्त भूमि का विरासत से अपीलांट का 1/5 हिस्सा एवं बादर खां के नाम 2/5 हिस्सा, अल्ताफ खां के नाम 2/5 हिस्सा दर्ज करना चाहिए था, किन्तु अपीलांट का 1/5 हिस्सा उनके भाई बादर खां एवं अल्ताफ खां के नाम गलत दर्ज करवा दिया, जो उनके हक हिस्से से ज्यादा है। अतः उक्तानुसार नामांतरकरण संख्या 158 दिनांक 14.08.1975 को निरस्त फरमाया जाकर मुझ अपीलांट के नाम राजस्व रेकार्ड में 1/5 हिस्सा दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2024 निर्णय दिनांक से 03.07.2024 से धारा 05 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज की जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.03.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया ***"बहस पर मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष द्वारा की बहस सुनने एवं समर्थन से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। बाद तामील रिपोर्ट से जाहिर है कि अपीलांट ने मृतक रेस्पोडेंट को भी अपनी अपील में पक्षकार बनाया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। नामांतरकरण 158 फैसल होने के उपरांत उक्त नामांतरकरण में वर्णित आराजीयात की भूमि आज***

दिनांक को राजस्व रेकॉर्ड की स्थिति देखने मात्र से जाहिर होता है कि उक्त लम्बे समय अंतराल के बाद राजस्व रेकार्ड की स्थिति परिवर्तित हो चुकी है तथा कई पक्षकारान ने अपने हिस्से की भूमि का बिकाव भी कर दिया है, जिससे नये सद्भावी क्रेता के हित भी उक्त वर्णित भूमि से जुडे है एवं प्रभावित होते है। जिसे अपीलांट इतने लम्बे असाधारण समय के बाद चैलेंज कर रहा है, जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि उक्त प्रार्थना पत्र धारा 05 अवधि अधिनियम को मियाद के बिन्दु पर तय किया जाना है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किए है, वह संतोषजनक, पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होते है। ग्राम पंचायत डाल मौजा दूदर के नामांतरकरण संख्या 158 दिनांक 17.08.1975 को फैसल होने के पश्चात अपीलांट ने यह अपील 49 वर्ष असाधारण देरी के बाद प्रस्तुत की है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की अवधि 30 दिन निर्धारित है तथा इस असाधारण देरी को अपीलांट द्वारा युक्तिसंगत साबित करने की पुष्टि में कोई पर्याप्त एवं ठोस कारण नहीं बताये है। उक्त से स्पष्ट है कि अपील अत्यधिक देरी से प्रस्तुत की गयी है तथा उक्त विलम्ब अवधि को क्षम्य करने को कोई ठोस कारण न्यायालय पत्रावली में नही पाता है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए असाधारण विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का करीब 49 वर्ष असाधारण विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए जाने से खारिज किया जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत एवं श्री फारूख मोहम्मद उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 42 व 43 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री मुरलीधर पालीवाल उपस्थित तथा शेष रेस्पोडेंट बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की

बहस दिनांक 06.08.2025 को सुनी गई तथा अपीलांट द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि अपीलांट को दिनांक 14.05.2024 से पूर्व कथित नामांतरकरण की जानकारी नहीं थी। अपीलांट को उक्त नामांतरकरण की जानकारी प्रथम बार तहसील से दिनांक 14.05.2024 को रिकार्ड प्राप्त करने पर हुई एवं अपील परिसीमा में पेश की गई। विधि अनुसार यह माना गया है कि किसी भी नामांतरकरण अथवा विधिक कार्यवाही के दस्तावेज आरंभ से ही शून्य होने पर उक्त दस्तावेज नामांतरकरण या विधिक कार्यवाही को किसी भी स्तर पर चुनौति दी जा सकती है, बशर्ते ऐसी कार्यवाही का पूर्व में कोई ज्ञान न हो। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने यह स्पष्ट किया है कि उसे दिनांक 14.05.2024 से पूर्व नामांतरकरण का कोई ज्ञान नहीं था, न ही रेस्पोडेंट यह प्रकट कर पाए है कि अपीलांट को दिनांक 14.05.2024 से पूर्व ऐसी कार्यवाही का ज्ञान था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 40 के अनुसार जब किसी भी खातेदार की निर्वसीयती मृत्यु हो जाती है तो पर्सनल लॉ के अनुसार मृतक खातेदार के विधिक वारिसान को स्वतः ही उसकी भूमि न्यस्त होती है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 122 के प्रावधानों के अनुसार यदि आवेदक अथवा अपीलांट की स्थिति अनभिज्ञ तथा ग्रामीण व्यक्ति के रूप में हो तो विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। हस्तगत अपील में अपीलांट एक निरक्षर तथा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होकर विधिक प्रक्रिया से अनजान है। अतः उक्तानुसार प्रार्थना है कि लिखित बहस को अभिलेख पर लिया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर न्याय निर्णयन किए जाने का आदेश प्रदान कराने के साथ ही अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2007 (1) Page 43, RRD 1994 Page 309, RRT 2018 Page 145, RLW 2002 (RJ) Page 443, RLW 2009 (RJ) Page 151, RRT 2007 (1) Page 257, RRT 2011 (2) Page 829 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 42 एवं 43 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवान ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर द्वारा दिनांक 30.07.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे, फिर भी अपीलांट द्वारा अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी पेश किया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर के यहां ग्राम पंचायत डाल, मौजा दूदर, पटवार हल्का धारोद, तहसील सलुम्बर के नामांतरकरण संख्या 158 दिनांक 14.08.1975 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2024 निर्णय दिनांक से 03.07.2024 से धारा 05 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज की जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

जैसा की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम पर निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज की गई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा–5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह वर्णित किया गया कि विवादित नामांतरकरण जिसका पहली बार ज्ञान दिनांक 14.05.2024 को हुआ। चूंकि प्रार्थीया 75 वर्ष की अनपढ़ ग्रामीण महिला है तथा प्रार्थीया को उसके 1/5 हिस्से का उपयोग उपभोग करने से विपक्षीगण अथवा उनके विधिक वारिसान को बाधा पैदा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त जैर बहस नामांतरकरण से प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा प्रभावित हुआ है, जिससे प्रार्थीया का उक्त भूमि में विरासत से

1/5 हिस्सा जन्म से ही निहित है। अतः जानकारी की दिनांक 14.05.2024 से अपील अंदर अवधि समय पर पेश है, अपीलांट द्वारा जानबुझकर कोई चुक नही की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि–

Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1991 पेज 440 में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्वान्त का हवाला दिया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है–

(c) Limitation Act, Section 3 – Order passed behind the back of the petitioner and without notice to him – Revision is not barred by limitation.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित होते है। अपीलांट को उसकी कृषि आजीयाता में हक व अधिकारों से वंचित किया जाना पाया गया, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का यह अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा–5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर

स्वीकार किया जाकर अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों में प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार हैः–

परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 122 के प्रावधानों के अनुसार यदि आवेदक अथवा अपीलांट की स्थिति अनभिज्ञ तथा ग्रामीण व्यक्ति के रूप में हो तो विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यहि व्यवस्था **न्यायिक दृष्टांत काशीराम बनाम गोपाल 1995 (1) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 243/1995 सुप्रीम कोर्ट एम. पी.** के निर्णय में पारित किया है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसरण में सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित सिद्धांत सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते है।

माननीय राजस्व मण्डल ने आर. आर. टी. 2007 (1) पेज 42 मोहनलाल बनाम बसंती में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है किः–

प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद भूमि प्रथम श्रेणी के वारिसान में नामांतरित होने चाहिए–माता का नाम दर्ज नहीं किया ओर पुत्र का नाम दर्ज किया–ऐसा दस्तावेज प्रारंभतः शून्य है एवं कानून की नजर में अकृत है और न्यायालय की जानकारी में आने पर अपास्त योग्य है।

माननीय राजस्व मण्डल ने आर. आर. डी. 1994 पेज 308 श्रीमती महाराजजी बनाम चम्पा में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है किः–

जंहा पुत्री के हक को गौण करती हुई कोई नामांतरकरण कार्यवाही की गई है, तो वह आरांभ से शून्य है, किसी भी कार्यवाही को चुनौति देने के लिए कोई व्यवस्था परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित नहीं होती है।

माननीय राजस्व मण्डल ने आर. आर. टी. 2018 पेज 145 श्रीमती गट्टु देवी बनाम बस्तीराम एवं आर. एल. डब्ल्यु 2006 (2) राजस्थान पेज 1306 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है किः–

शून्य आदेश को किसी भी समय चुनौति दी जा सकती है एवं परिसीमा के प्रावधान इस संबंध में आकर्षित नहीं होते है।

माननीय राजस्व मण्डल ने (2002) RLW (RJ) 443 में माना है कि:–

जहां अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आरंभ से ही शून्य हो वहां अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं एवं विधितः व्यक्ति जो कि विधिक उत्तराधिकारियों को सूचना दिए बिना नामांतरकरण खोल दिया हो तो ऐसा नामांतरकरण आरंभ से ही शून्य है।

माननीय राजस्व मण्डल ने (2009) (1) RLW (RJ) 151 में माना है कि:–

जहां अपीलांट द्वारा अपना प्रथम दृष्टया प्रकरण इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उसे नामांतरकरण की कार्यवाही में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो, न ही उत्तराधिकारियों के बारे में जांच की गई हो तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसार विलंब को क्षमा किया जाना और अपील का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने पश्चात्वर्ती विक्रय पत्र एवं विक्रय कार्यवाही को चुनौति दी है तथा पत्रावली में सारवान तथ्य विद्यमान है एवं कोई विधिक आधारों का समावेश अपील में किया गया है एवं आलौच्य आदेश अपास्त किए जाने योग्य है, किन्तु मात्र परिसीमा के आधार पर विनिश्चय नहीं किया जा सकता है एवं आलौच्य नामांतरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील परिसीमा के प्रश्न को गौण रखते हुए गुणावगुण पर विनिश्चय की जानी न्यायहित में आवश्यक है।

वर्णित न्यायिक दृष्टांतों अनुसार प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित होते है। अपीलांट को उसकी कृषि आजीयाता में हक व अधिकारों से वंचित किया जाना पाया गया, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर

गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित था। परिसीमा नियमों का यह अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा–5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाकर अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए।

अब हम प्रकरण में मुस्लिम उत्तराधिकार विधि का वर्णन करना उचित समझते हैः–

मुस्लिम कानून के अनुसार संपत्ति का वितरण कुरान और शरिया कानून पर आधारित है। इसमें, वारिसों को निश्चित हिस्से दिये जाते है, और कुछ मामलों में, वसीयत के माध्यम से संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा दिया जा सकता है। शेष संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित की जाती है। संपत्ति वितरण के मुख्य बिन्दुः–

वसीयतः– एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का अधिकतम एक तिहाई हिस्सा वसीयत के माध्यम से दे सकता है।

कानूनी उत्तराधिकारीः– शेष संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरीत की जाती है।

उत्तराधिकारियों के वर्गः– उत्तराधिकारियों को तीन वर्गो में बांटा गया हैः–

- **शेयरधार (Asaba)**ः– ये वे लोग हैं जिन्हें संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा मिलता है, जैसे कि पति/पत्नि, माता–पिता, बच्चे।
- **शेयरधारः–** ये वे लोग हैं जो शेयरधाराकों के बाद संपत्ति के हकदार होते हैं, जैसे कि चाचा, चाची, भतीजे, भतीजियां।
- **दूर के रिश्तेदारः–** यदि कोई शेयरधारक या रिश्तेदार नहीं हैं, तो संपत्ति दूर के रिश्तेदारों को दी जाती है।

- पति/पत्नि का हिस्साः– यदि बच्चे हैं तो पत्नि को 1/8 हिस्सा मिलता है, और यदि बच्चे नहीं हैं तो 1/4 हिस्सा मिलता है। पति को यदि बच्चे हैं तो 1/4 हिस्सा मिलता है, और यदि बच्चे नहीं हैं तो 1/2 हिस्सा मिलता है।

- **माता–पिता का हिस्साः–** माता–पिता को 1/6 हिस्सा मिलता है यदि बच्चे या भाई–बहन है। यदि बच्चे या भाई–बहन नहीं हैं तो माता को 1/3 हिस्सा मिलता है।

- **बेटे और बेटियों का हिस्साः–** बेटों को आमतौर पर बेटियों से दोगुना हिस्सा मिलता है।

- **उदाहरणः–** मान लीजिए कि एक मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके पास 3 लाख रूपये की संपत्ति है। उसने अपनी वसीयत में एक लाख रूपये किसी को दे दिए हैं। शेष 02 लाख रूपये कानूनी उत्तराधिकारियों में वितरित किए जाएंगे। यदि उसके बच्चे और पत्नि हैं, तो पत्नि को 1/8 हिस्सा (25000 रूपये) मिलेगा, ओर बाकी 1,75000 रूपये बच्चों में वितरित किए जाएंगे, जिसमें बेटों को बेटियों से दोगुना हिस्सा मिलेगा।

उक्तानुसार मुस्लिम उत्तराधिकार विधि अनुसार मृतक नासिर खां की संपत्ति में से अपीलांट पुत्री जुबेदा बाई को 1/5 हिस्सा, पुत्र बादर खां को 2/5 हिस्सा एवं पुत्र अल्ताफ खां को 2/5 हिस्सा मिलना चाहिए था।

प्रकरण में अब हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर के निर्णय दिनांक 03.07.2024 पर विवेचन करना उचित समझते हैं। उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर द्वारा अपने निर्णय में यह विवेचन किया है कि ***बाद तामील रिपोर्ट से जाहिर है कि अपीलांट ने मृतक रेस्पोडेंट को भी अपनी अपील में पक्षकार बनाया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होने तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए असाधारण विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का करीब 49 वर्ष असाधारण विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए जाने से खारिज किया जाता है।*** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर का उक्त

निर्णय प्रथम दृष्टया विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को मृतक रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सि. प्र. स. के तहत अपीलांट से नाम कायमी की कार्यवाही करवानी चाहिए थी तथा प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने मुस्लिम उत्तराधिकार विधि को क्यों नहीं माना एवं इस पर कोई विवेचना नहीं की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस स्थिति में प्राकृतिक उत्तराधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत खातेदार के पर्सनल लॉ के अनुसार विनिश्चित किया जाना होता है अर्थात् उपखण्ड अधिकारी के समक्ष मृतक खातेदार के 02 पुत्र व एक पुत्री होना या अन्य कौन वारीस उपलब्ध है एवं मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के तहत प्राकृतिक उत्तराधिकार किनको प्राप्त होने थे, इस पर निर्णय किया जाना था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा केवल मात्र प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम निर्णय करते हुए अपीलांट की अपील खारिज की गई। मृतक खातेदार के मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अनुसार भी उत्तराधिकार का विनिश्चयन नहीं किया गया है, अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय न तो तथ्यपरक है न ही विधिपूर्ण है। अतएवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर का निर्णय उपरोक्तानुसार निसंदेह अपास्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर का निर्णय दिनांक 03.07.2024 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अजसरे गुणावगुण पर नव निर्णय पारित करे।

निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर